



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 12 मई, 2026 ई०

बैशाख 22, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-04

संख्या- 648/XX-4/2026-03(10)/2021 टी०सी०-E-95171

देहरादून, 12 मई, 2026

अधिसूचना

स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 (PITNDPS Act, 1988) की धारा-9(क) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये PITNDPS सम्बन्धी प्रकरणों हेतु 'राज्य परामर्शदात्री परिषद' के गठन से सम्बन्धित पूर्व निर्गत अधिसूचना संख्या-270/XX-4/2026-E-95171, दिनांक 25.02.2026 को अतिक्रमित करते हुये तथा मा० उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के पत्र संख्या-2360/Admin. A-2/F.No. 113/Ad.Board/PITNDPS/2024, दिनांक 08.05.2026 में प्राप्त संस्तुति के आधार पर पूर्व गठित 'राज्य परामर्शदात्री परिषद' में मा० न्यायमूर्ति श्री मनोज कुमार तिवारी, न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल के स्थान पर मा० न्यायमूर्ति श्री राकेश थपलियाल, न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल को उपर्युक्त परामर्शदात्री परिषद के अध्यक्ष के रूप में नामित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। उक्त संशोधन के उपरान्त राज्य परामर्शदात्री परिषद का वर्तमान स्वरूप निम्नवत है:-

(क) मा० न्यायमूर्ति श्री राकेश थपलियाल, न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल-अध्यक्ष

(ख) श्री एन०एस० धनिक (सेवानिवृत्त), अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पुलिस शिकायत प्राधिकरण, देहरादून-सदस्य

(ग) मा० न्यायमूर्ति श्री लोकपाल सिंह, पूर्व न्यायाधीश, उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल-सदस्य

इस सम्बन्ध में पूर्व निर्गत समस्त अधिसूचनाओं को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

आज्ञा से,

निवेदिता कुकरेती,
विशेष सचिव।

पी०एस०यू० (आर०ई०) 11 गृह/177-2026-100+50 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)।